भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 458 का उत्तर

सिरोही (राजस्थान) में रेल नेटवर्क का ना होना

458. श्री लुम्बा राम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आजादी के 76 वर्षों के बाद भी सिरोही निर्वाचन क्षेत्र रेल से नहीं जुड़ा है और जिले में रेल नेटवर्क की कमी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का सिरोही मुख्यालय सहित देश के सभी आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के आधार पर रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्‌योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

सिरोही (राजस्थान) में रेल नेटवर्क के ना होने के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री लुम्बा राम के अतारांकित प्रश्न सं. 458 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): रेलवे परियोजनाओं/सर्वेक्षणों को राज्य-वार/जिला-वार/क्षेत्र-वार/निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं, बल्कि जोन-वार स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेलवे परियोजनाओं को लाभप्रदत्ता, अंतिम स्थान संपर्कता, छूटे हुए लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़भाड़ वाली/संतृप्त क्षेत्रों में लाइनों के विस्तार, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक विचारों आदि के आधार पर जोनल रेलवे-वार शुरू किया जाता है, जो चल रही परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड और धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। आकांक्षी जिलों सहित रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों की मंजूरी देना भारतीय रेल की एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान के सिरोही जिले सहित संपूर्ण भारतीय रेल में, कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी लागत लगभग ₹ 7.44 लाख करोड़ है, योजना/निर्माण/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग ₹ 2.92 लाख करोड़ का व्यय किया गया है। ये परियोजनाएं आकांक्षी जिलों सहित रेलवे नेटवर्क से असंबद्ध क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करेंगी।

राजस्थान

राजस्थान में रेल परियोजनाओं को भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों द्वारा कवर किया जाता है। रेल

परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित उनका जोन-वार विवरण, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 तक, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 4191 किलोमीटर लंबाई की ₹ 51814 करोड़ की लागत वाली 32 रेल अवसंरचना परियोजनाएँ (15 नई लाइनें, 05 आमान परिवर्तन और 12 दोहरीकरण) योजना/निर्माण/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनमें से 1183 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 14786 करोड़ रू. का व्यय किया जा चुका है। इनका सार निम्नानुसार है:

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी)	मार्च 2024 तक व्यय (₹ करोड़ में)
नई लाइनें	15	1230	134	3593
आमान परिवर्तन	5	1252	759	5398
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	12	1709	290	5794
कुल	32	4,191	1,183	14,785

वर्ष 2014 से, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹ 682 करोड़/वर्ष
2023-24	₹ 9532 करोड़ (लगभग 14 गुना)
2024-25	₹ 9959 करोड़ (लगभग 15 गुना)

भारतीय रेल में नए रेलपथ की कमीशनिंग/बिछाने का विवरण नीचे दिया गया है:-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	नये रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	798 कि.मी.	159.6 कि.मी./वर्ष
2014-24	3742 कि.मी.	374.2 कि.मी./वर्ष (2 गुना से अधिक)

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25) के दौरान राजस्थान राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल 4,944 किलोमीटर लंबाई की कुल 55 परियोजनाओं (23 नई लाइन और 32 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण कार्य को मंज़ूरी दी गई है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना/परियोजनाओं के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में (i) निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरी में तेजी लाने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल हैं।

सिरोही जिला पहले ही भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सिरोही जिले से गुजरने वाली कुछ परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

1. गतिशीलता में सुधार करने तथा यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, 2023-24 में ₹ 3085.59 करोड़ की लागत से लूनी-समदड़ी-भीलड़ी (272 किमी) खंड के बीच दोहरीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है।

2. दोहरी लाइन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) सिरोही जिले से होकर गुजरता है।

3. **तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई लाइन परियोजना (116.65 किमी) को 2022 में 2798.16 करोड़ रू. की लागत से स्वीकृत किया गया है। इस पर अक्टूबर 2024 तक 798 करोड़ रू. का व्यय किया गया है।**

******